भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1226

जिसका उत्तर शुक्रवार 27 जुलाई, 2018 को दिया जाना है

**उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामले**

**1226. श्री हरिवंश :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्ष़ों या इससे अधिक समय से उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में कुल कितने मामले लंबित हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इसका समाधन करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) और (ख) :** उच्‍च न्‍यायालयों और जिला/अधीनस्‍थ न्‍यायालयों में लम्‍बित मामलों के आंकड़े सम्‍बद्ध उच्‍च न्‍यायालयों द्वारा रखे जाते है । राष्‍ट्रीय न्‍यायिक आंकड़ा ग्रिड (एनजेडीजी) के वेब पोर्टल पर तारीख 23-7-2018 को उपलब्‍ध जानकारी के अनुसार 9.94 लाख मामले विभिन्‍न उच्‍च न्‍यायालयों में दस वर्ष से अधिक समय से लम्‍बित थे । ऐसे मामलों के उच्‍च न्‍यायालय-वार ब्‍यौरे **उपाबंध-1** पर दिए गए हैं। तारीख 23-7-2018 को, 22.90 लाख मामले देश के विभिन्‍न जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों (अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप, पुडूचेरी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को छोड़कर) में दस वर्ष से अधिक समय से लम्‍बित थे । ऐसे मामलों का राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र-वार ब्‍यौरा **उपाबंध-2** पर है।

**(ग)** **:** केन्‍द्रीय सरकार ने, न्‍यायपालिका द्वारा मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए एक पद्धति उपलब्‍ध कराए जाने हेतु अनेक उपाय किए हैं । सरकार द्वारा स्‍थापित न्‍याय प्रदान करने और कानूनी सुधारों के लिए राष्‍ट्रीय मिशन ने विभिन्‍न राजनीतिक पहलों जिसके अंतर्गत न्‍यायालयों के लिए अवसंरचना को सुधारना, जानकारी एकत्रित करना, बेहतर न्‍याय परिदान के लिए जानकारी और संसूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग और उच्‍चतम न्‍यायालय और उच्‍च न्‍यायालय में न्‍यायाधीशों के रिक्‍त पदों को भरा जाना भी है, के माध्‍यम से न्‍यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों का चरणबद्ध समापन के लिए समन्‍वित दृष्‍टिकोण अपनाया है । पिछले चार वर्षों के दौरान की मुख्‍य उपलब्‍धियां निम्‍नलिखित है :—

(i) आज की तारीख तक, 1993-94 में न्‍यायपालिका के लिए अवसंरचनात्‍मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केन्‍द्रीय रूप से प्रायोजित स्‍कीम (सी० एस० एस०) के प्रारंभ से 6,302 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं । जिसमें से 2,858 करोड़ रुपए (जो आज की तारीख तक कुल जारी हुई रकम का 45.35 प्रतिशत है) अप्रैल 2014 से राज्‍यों और संघराज्‍यों क्षेत्रों को जारी किए जा चुके हैं । इस स्‍कीम के अधीन न्‍यायालय हॉलों की संख्‍या जो 30-6-2014 को 15,8018 थी से बढकर आज की तारीख को 18,444 हो गई है और आवासीय इकाईयों की संख्‍या जो 30-6-2014 को 10,211 थी से बढ़कर आज की तारीख तक 15,853 हो गई है । इसके अतिरिक्‍त, 2,709 न्‍यायालय हॉल और 1,472 आवासीय इकाइयां संनिर्माणाधीन हैं ।केन्‍द्रीय सरकार ने स्‍कीमों को 3,320 करोड़ रुपए के प्राक्‍कलित अतिरिक्‍त परिव्‍यय के साथ बारहवी पंचवर्षीय योजना अवधि के पश्‍चात् अर्थात् 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 तक जारी रखने का अनुमोदन किया है ।

(ii) कम्‍पयूटीकृत जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों की संख्‍या 13,672 से बढ़कर 16,089 हो गई है, 2014 से 2018 के दौरान 2417 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है ।

(iii) राष्‍ट्रीय न्‍यायिक आंकड़ा ग्रिड (एनजेडीजी) ऐसे जिला और अधीनस्थ न्यायालयो में जिन्हें पहले ही कम्पयूटीकृत किया जा चुका है, मामला फाइल करने, मामले की प्रास्थिति के तथा उनसे आदेशों और निर्णयों की इलैक्ट्रानिक प्रतियां प्राप्त करने के बारे में आनलाइन जानकारी नागरिको को उपलब्ध कराने के लिए सुलभ बनाया गया है ।इस पोर्टल पर 10.15 करोड़ मामलों के सम्‍बद्ध में जानकारी जिसके अंतर्गत 2.75 करोड़ लम्‍बित मामले और 6.97 करोड़ से अधिक आदेश/निर्णय उपलब्‍ध हैं ।

(iv) ई-न्‍यायालय सेवाएं जैसे- मामला रजिस्‍ट्रीकरण, कॉज़ लिस्‍ट, मामला प्रास्‍थिति, दैनिक आदेश और अन्‍तिम निर्णयों के ब्‍यौरे ई-न्‍यायालय व पोर्टल, सभी कम्‍पयूट्रीकृत न्‍यायालयों में न्‍यायिक सेवा केंद्र, ई-न्‍यायालय मोबाइल ऐप क्‍यू आर कोड की सुविधा के साथ (6.8 लाख डाउनलोड), ई-मेल सेवा, एस० एम० एस० पुश और पुल सेवाओं के माध्‍यम से मुकदमेबाजों और अधिवक्‍ताओं के लिए उपलब्‍ध हैं। ई-न्‍यायालय प्रोजेक्‍ट, चरण 2 के दौरान 127.06 करोड़ समव्‍यवहारों की कुल संख्‍या के साथ लगातार देश के पांच उच्‍च मिशन मोड प्रोजेक्‍टो में रहा है ।

(v) मई, 2014 से 23 जुलाई 2018 के दौरान 18 न्‍यायाधीश उच्‍चतम न्‍यायालय में नियुक्‍त हुए थे, उच्‍च न्‍यायालयों में 349 नये न्‍यायधीशों की नियुक्‍ति हुई थी तथा 316 अतिरिक्‍त न्‍यायाधीश स्‍थायी किए गए थे । उच्‍च न्‍यायालयों में न्‍यायाधीशों की स्‍वीकृत पदसंख्‍या जो मई, 2014 में 906 थी से बढ़कर वर्तमान में 1079 हो गई है । उसी प्रकार, जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों में न्‍यायिक अधिकारियों की स्‍वीकृत पदसंख्‍या जो 31-12-2013 को 19,518 थी, से बढ़कर 31-3-2018 को 22,545 हो गई है । इसके अतिरिक्त, जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों में कार्यरत न्‍यायिक अधिकारियों की पद संख्‍या जो 31-12-2013 को 15,115 थी से बढ़कर 31-3-2018 को 17,109 हो गई है ।

(vi) इसके अतिरिक्‍त, अप्रैल 2015 में मुख्‍य न्‍यायमूर्तियों के सम्‍मेलन में पारित संकल्‍प के अनुसरण मे पांच वर्षो से अधिक समय से लम्‍बित मामलों का निपटान करने के लिए 24 उच्‍च न्‍यायालयों में बकाया मामला समितियों का गठन किया गया है । जिला न्‍यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों का गठन किया गया है । उच्‍चतम न्‍यायालय में भी बकाया मामला समिति, उच्‍च न्‍यायालयों और जिला न्‍यायालयों में लम्‍बित मामलों को कम करने के उपाय करने के लिए, का गठन किया गया है ।

(vii) सरकार ने अप्रैल 2017 में न्‍यायमित्र स्‍कीम, न्‍यायालयों में दस वर्ष से अधिक लम्‍बित मामलों को कम करने के लिए आरंभ की है । इस योजना के अधीन सेवा निवृत न्‍यायिक अधिकारी लगे हुए हैं और दस वर्ष से अधिक समय से लम्‍बित मामलों के शीघ्र निपटान को सुकर बनाने के लिए उन्‍हें न्‍यायमित्र के रूप में पदाभिहित किया गया है । प्रथम चरण में, राजस्‍थान, पश्‍चिमी बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश और त्रिपुरा के पन्‍द्रह जिलों में पन्‍द्रह न्‍यायमित्र लगे हुए हैं ।

(viii) राष्‍ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) को 2014 से 2018 के दौरान 330 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई है जोकि अबतक का उच्‍चतम है । 2015 से 2017 के दौरान राष्‍ट्रीय लोक अदालतों द्वारा 140.63 लाख लम्‍बित मामलों को सुलझाया गया है । 2015-16 से 2017-18 के दौरान नियमित लोक अदालतों में 86.14 लाख लम्‍बित मामलों को और 103.73 लाख मामलों को मुकदमा चलाए जाने के पूर्व सुलझाया गया था । 2015-16 से 2017-18 के दौरान स्‍थायी लोक अदालतों में 3.21 लाख लोक उपयोगिता सेवाओं से सम्‍बन्‍धित मामलों को मुकदमा चलाए जाने से पूर्व सुलझाया गया था ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**उपाबंध-1**

**राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1226 जिसका उत्तर तारीख 27.07.2018 को दिया जाना है का निर्दिष्ट विवरण**

**23.07.2018 को उच्च न्यायालयों में 10 से अधिक वर्षों से लंबित मामले**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **उच्च न्यायालय का नाम** | **10 से अधिक वर्षों से लंबित मामलों की संख्या** |
| 1 | इलाहाबाद उच्च न्यायालय | 2,71,619 |
| 2 | बम्बई उच्च न्यायालय | 1,45,425 |
| 3 | पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय | 1,07,243 |
| 4 | कलकत्ता उच्च न्यायालय | 92,698 |
| 5 | राजस्थान उच्च न्यायालय | 69,464 |
| 6 | मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय | 64,877 |
| 7 | मद्रास उच्च न्यायालय | 51,044 |
| 8 | हैदराबाद उच्च न्यायालय | 45,652 |
| 9 | उड़ीसा उच्च न्यायालय | 34,336 |
| 10 | पटना उच्च न्यायालय | 23,149 |
| 1 1 | केरल उच्च न्यायालय | 18,858 |
| 12 | झारखंड उच्च न्यायालय | 15,204 |
| 13 | गुजरात उच्च न्यायालय | 13,390 |
| 14 | जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय | 9716 |
| 15 | दिल्ली उच्च न्यायालय | 8577 |
| 16 | छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय | 7098 |
| 17 | कर्नाटक उच्च न्यायालय | 6075 |
| 18 | मणिपुर उच्च न्यायालय | 3,980 |
| 19 | उत्तराखंड उच्च न्यायालय | 3805 |
| 20 | हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय | 1,468 |
| 21 | गुवाहाटी उच्च न्यायालय | 335 |
| 22 | मेघालय उच्च न्यायालय | 17 |
| 23 | त्रिपुरा उच्च न्यायालय | 2 |
|  | **10 वर्ष और उससे ऊपर, कुल मामलों** | **9,94,032** |

**स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड।**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**उपाबंध-2**

**राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1226 जिसका उत्तर तारीख 27.07.2018 को दिया जाना है के उत्तर का निर्दिष्ट विवरण**

**23.07.2018 को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 10 से अधिक वर्षों से लंबित मामले**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य / संघ राज्य** | **10 से अधिक वर्षों से लंबित मामलों की संख्या** |
| 1 | उत्तर प्रदेश | 9,15,128 |
| 2 | बिहार | 2,70,988 |
| 3 | महाराष्ट्र | 2,59,273 |
| 4 | पश्चिमी बंगाल | 2,35,632 |
| 5 | गुजरात | 2,02,191 |
| 6 | ओडिशा | 1,78,138 |
| 7 | राजस्थान | 70,437 |
| 8 | तमिलनाडु | 42,157 |
| 9 | कर्नाटक | 33,190 |
| 10 | मध्य प्रदेश | 14,765 |
| 1 1 | झारखंड | 12,234 |
| 12 | तेलंगाना | 11,321 |
| 13 | केरल | 9077 |
| 14 | आंध्र प्रदेश | 5927 |
| 15 | दिल्ली | 5396 |
| 16 | उत्तराखंड | 4465 |
| 17 | जम्मू-कश्मीर | 4436 |
| 18 | असम | 3,634 |
| 19 | त्रिपुरा | 2,738 |
| 20 | छत्तीसगढ़ | 2,394 |
| 21 | गोवा | 1,867 |
| 22 | पंजाब | 1338 |
| 23 | हिमाचल प्रदेश | 940 |
| 24 | अदमान और निकोबार | 915 |
| 25 | मेघालय | 745 |
| 26 | हरियाणा | 714 |
| 27 | मणिपुर | 432 |
| 28 | सिल्वासा में दादर और नगर हवेली | 318 |
| 29 | दीव और दमण | 56 |
| 30 | चंडीगढ़ | 54 |
| 31 | मिजोरम | 40 |
| 32 | सिक्किम | 2 |
|  | **10 वर्ष और उससे ऊपर, कुल मामलों** | **22,90,942** |

**स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड।**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*